समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

ऑनलाईन परिवाद संख्या–072025041900 1(18) / 2025

दिनांक – 16.05.2025

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी

श्री प्रदीप डोभाल (प्रधानाध्यापक) राजकीय आई0टी0आई0 चम्बा टिहरी।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी ।

निर्णय

श्री प्रदीप डोभाल ने दिनांक 10.03.2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी के ऑनलाईन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके द्वारा खाता संख्या 4010092046 1 में जारी संयोजन संख्या का विद्युत बिल जमा करने पर रसीद प्राप्त नहीं हुई है।

मंच ने शिकायत को परिवाद के रुप में दर्ज कर विपक्षी / विभाग को पत्रांक 23 दिनांक 30.04.2025 के माध्यम से नोटिस जारी कर परिवाद को लेकर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

परिवाद की नियत तिथि से पूर्व परिवादी ने अपनी शिकायत के संबंध में अपने पत्रांक 343 दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उनके संयोजन संख्या 10574 की जमा रसीद उन्हें प्राप्त हो गई है। विपक्षी / विभाग ने भी मौखिक रुप से परिवादी की शिकायत का समाधान करने की बात मंच के समक्ष की है।

उभय पक्षों को सुना गया। चूंकि विपक्षी / विभाग ने परिवादी की बिल रसीद समस्या का समाधान कर दिया है। परिवादी ने भी कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर कर लिखित रुप से सहमति पत्र पेश किया है। ऐसे में परिवाद को निस्तारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग ने परिवादी की बिल रसीद संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25	16/05/2025	16/05/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**
उपभोक्ता सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	न्यायिक सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-09 / 2025 दिनांक:- 15.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मुकेश लाल पुत्र श्री चैत लाल, ग्राम चिन्यालीगांव चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मुकेश लाल ने दिनांक 22.04.2025 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी के समक्ष लिखित शिकायत की कि उनका विद्युत संयोजन संख्या यू0के14157417112 का विद्युत बिल एन0आर0 और आई0डी0एफ पर गलत तथा अधिक आया है। वह बिल एक साथ जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने मंच से बिल संशोधन करने का अनुरोध किया है।

मंच द्वारा शिकायत को परिवाद के रुप में दर्ज कर अपने पत्रांक 13/2025 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से नोटिस जारी कर विपक्षी/विभाग को अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित दिनांक 25.04.2025 को मंच के समक्ष पेश करने के आदेश दिए।

विभाग द्वारा पत्र संख्या 159 दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 20-03-2010 से 09.07.2018 तथा दिनांक 21.11.2019 से 17.03.2025 तक की अवधि के लिए IDF एवं NR बिल निर्गत किए गए थे। परिवादी पर वर्तमान में ₹58799.00 की बकाया राशि बन गई। सुनवाई एवं दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत, मंच ने विभाग को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमावली 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बिल संशोधित करने के निर्देश दिए। तदनुसार, दिनांक 06.05.2025 को विभाग ने मंच को पत्र संख्या 165 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर ₹27007.00 कर दिया गया है और इसे अनुमोदन हेतु डिवीजन कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का परिशीलन किया। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के अधिक बिल की शिकायत का मंच के निर्देश पर जारी गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित कर सही बिल रु0 27007.00 का बना कर सक्षम अधिकारी के अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि विपक्षी/विभाग परिवादी का बिल 30 दिनों के अन्तर्गत संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित करना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादी के बिल को संशोधित करें। अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी 30 दिन के भी लोकपाल, 80 बंसत विहार के यहां अपील कर सकते हैं। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

15/05/25	15/05/2025	15/05/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:–249193
दूरभाष:–+917895754011, 9412139791 ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–02/2025 दिनांक:– 15.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती विमला देवी, ग्राम पंजियाला तह0 डुण्डा उत्तरकाशी। परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती विमला देवी ने दिनांक 01.04.2025 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी के समक्ष लिखित शिकायत की कि उनका विद्युत संयोजन संख्या यू0के14118415109 जो ग्राम पंजियाला में लगा है, का विद्युत बिल एन0आर0 और आई0डी0एफ पर गलत तथा अधिक आया है। वह बिल एक साथ जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने मंच से बिल संशोधन करने का अनुरोध किया है।

मंच द्वारा शिकायत को परिवाद के रुप में दर्ज कर अपने पत्रांक 02/2025 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 01.04.2025 के माध्यम से नोटिस जारी कर विपक्षी/विभाग को अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित दिनांक 07.04.2025 को मंच के समक्ष पेश करने के आदेश दिए।

विभाग द्वारा पत्र संख्या 120 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 17.09.2008 से 28.11.2015 तथा दिनांक 22.09.2020 से 09.03.2025 तक की अवधि के लिए IDF एवं NR बिल निर्गत किए गए थे। परिवादिनी पर वर्तमान में ₹84991.00 की बकाया राशि बन गई। सुनवाई एवं दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत, मंच ने विभाग को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमावली 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बिल संशोधित करने के निर्देश दिए। तदनुसार, दिनांक 09.04.2025 को हुई सुनवाई में विभाग ने मंच को पत्र संख्या 136 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर ₹20796.64 कर दिया गया है और इसे अनुमोदन हेतु डिवीजन कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का परिशीलन किया। विपक्षी/विभाग ने परिवादिनी के अधिक बिल की शिकायत का मंच के निर्देश पर जारी गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित कर सही बिल रु0 20796.64 का बना कर सक्षम अधिकारी के अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि विपक्षी/विभाग परिवादिनी का बिल 30 दिनों के अन्तर्गत संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित करना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादिनी के बिल को संशोधित करें। अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी 30 दिन के भीतर लोकपाल, 80 बंसत विहार के यहां अपील कर सकते हैं। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

15/05/25 15/05/2025 15/05/25

संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)
उपभोक्ता सदस्य, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	तकनीकी सदस्य, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	न्यायिक सदस्य, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन –249193
दूरभाष––+917895754011, 9412139791 ई–मेल ––Cgrfuk@gmail.com

परिवाद संख्या–08 / 2025 दिनांक – 16.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

राधा पुत्री श्रीमती अतरा देवी, ग्राम कान्सी चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। **परिवादिनी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी । **विपक्षी**

निर्णय

परिवादिनी राधा पुत्री श्रीमती अतरा देवी ने दिनांक 21/04/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK14157416044 पर रु0 91835.00 का विद्युत बिल दिया गया है जिसे जमा करना संभव नहीं है। मंच से परिवादिनी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

मंच ने परिवादिनी की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 12 दिनांक 21/04/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 25/04/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

तय तिथि से पूर्व विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक 148 दिनांक 24.04.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 17.02.2010 से 18.03.2025 तक आई0डी0एफ/एन0आर0 पर निर्गत हो रहे हैं, और वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 91835.00 का बकाया है। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित करें। इस पर विपक्षी/विभाग ने पत्रांक 151 दिनांक 25.04.2025 को पुनः जवाब दिया कि परिवादिनी के समस्त गलत बिलों को पूर्णतः समाप्त कर विनियमों के अनुसार रु0 91835.00 से संशोधित कर रु0 21183.26 बना दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच ने प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 14.05.2025 की तिथि नियत की। विपक्षी/विभाग ने अपने पूर्व के जवाब का दोहरान किया। जबकि दूरभाष पर परिवादिनी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर सहमति जाहिर की।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल/अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25 — **संतोष भट्ट** **(उपभोक्ता सदस्य)**

16/05/2025 — **भूपेन्द्र सिंह कनेरी** **(तकनीकी सदस्य)**

16/05/25 — **कीर्ति प्रसाद भट्ट** **(न्यायिक सदस्य)**

परिवाद संख्या 10/2025 दिनांक 16.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य,

1. श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
2. श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
3. श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीपलाल पुत्र श्री पुन्नू लाल, ग्राम मल्ली पो० मराणगांव चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी । विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दीपलाल ने दिनांक 25/04/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK24144410518 पर विद्युत बिल काफी अधिक धनराशि का दिया गया है जिसे जमा करना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

मंच ने परिवादी की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 15 दिनांक 25/04/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 05/05/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक 160 दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिल दिनांक 18.02.2008 से 17.06.2011, दिनांक 22.02.2015 से 19.12.2016 तथा दिनांक 16.02.2022 से 15.12.2023 तक आई०डी०एफ/एन०आर० पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता पर वर्तमान में बिल रु0 105029.00 का बकाया है। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित करें। इस पर विपक्षी/विभाग ने पत्रांक 167 दिनांक 06.05.2025 को पुनः जवाब दिया कि परिवादी के समस्त गलत बिलों को पूर्णतः समाप्त कर विनियमों के अनुसार रु0 105029.00 से संशोधित कर रु0 67828.00 बना दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच ने प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 14.05.2025 की तिथि नियत की। विपक्षी/विभाग ने अपने पूर्व के जवाब का दोहरान किया। जबकि दूरभाष पर परिवादी ने विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर सहमति जाहिर की।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल/अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25	16/05/2025	16/05
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन 249193
दूरभाष +917895759011, 9412139791 ई मेल — cgrfuk@gmail.com

परिवाद संख्या 08 / 2025

दिनांक – 16 05 2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य

1. श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
2. श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
3. श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगवीर सिंह सेमवाल ग्राम / पो0 कलिगांव (धनारी) उत्तरकाशी। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी । — विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री जगवीर सिंह सेमवाल ने दिनांक 09 / 04 / 25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK14106410331 पर विद्युत बिल काफी अधिक धनराशि का दिया गया है जिसे जमा करना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने कर संयोजन को दुबारा जुड़वाने की कृपा करें।

मंच ने परिवादी की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 10 दिनांक 09 / 04 / 25 के द्वारा प्रतिवादी / विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 25 / 04 / 25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

तय तिथि से पूर्व विपक्षी ने अपने पत्रांक 147 दिनांक 14.04.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिल दिनांक 17.01.2008 से 21.11.2015, दिनांक 23.09.2019 से 31.05.2020 तक आई0डी0एफ / एन0आर0 पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता पर वर्तमान में बिल रु0 78085.00 का बकाया है। मंच द्वारा विपक्षी / विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित करें। इस पर विपक्षी / विभाग ने पत्रांक 150 दिनांक 25.04.2025 को पुनः जवाब दिया कि परिवादी के समस्त गलत बिलों को पूर्णतः समाप्त कर विनियमों के अनुसार रु0 78085.00 से संशोधित कर रु0 53001.00 बना दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच ने प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई / निस्तारण हेतु दिनांक 14.05.2025 की तिथि नियत की। विपक्षी / विभाग ने अपने पूर्व के जवाब का दोहराया। जबकि दूरभाष पर परिवादी ने विपक्षी / विभाग की कार्यवाही पर सहमति जाहिर की।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी / विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल / अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर** विद्युत **लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 16/05/25	Sd/- 16/05/2025	Sd/- 16/05/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791 ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

दिनांकः– 16.05.2025

परिवाद संख्या–16 / 2025

उपस्थितः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी

श्री मान सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरुदयाल सिंह, ग्राम हडियाडी बधाणगांव चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी ।

निर्णय

श्री मान सिंह ने दिनांक 29 / 04 / 25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि शिकायतकर्ता की विद्युत संयोजन संख्या UK24144413056 पर रु0 60375.00 का विद्युत बिल आ रखा है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उनके विद्युत बिल ठीक करने की कृपा करे।

मंच ने याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 21 दिनांक 29 / 04 / 25 के द्वारा प्रतिवादी / विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 14 / 05 / 25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। तय तिथि को प्रतिवादी / विभाग ने आख्या प्रस्तुत नहीं की।

विपक्षी / विभाग ने सुनवाई तिथि से पूर्व अपने पत्रांक 162 दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत बिल दिनांक 18.02.2008 से 12.08.2019 तक आई0डी0एफ पर निर्गत हुए हैं, और वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 60816.00 का बकाया है। इसके अलावा विपक्षी / विभाग ने अपने पत्रांक 168 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी के बिल में दो बिलिंग चक्र से अधिक प्रदर्शित आई0डी0एफ बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित कर 60816.00 से 16346.00 का बिल बना कर अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी / विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल / अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25 — संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

16/05/2025 — भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)

16/05/21 — कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन 249193
दूरभाष 01374-........, ... ईमेल ......@gmail.com

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

ऑनलाईन परिवाद संख्या–07202504190001(19)/2025

दिनांक:– 16.05.2025

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मधु चमोली, निवासी सेक्टर 9C निकट गीता भवन बौराडी टिहरी। परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी । विपक्षी

निर्णय

श्रीमती मधु चमोली ने दिनांक 19.04.2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी के ऑनलाईन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके विद्युत संयोजन के खाता संख्या 42200729676 का मीटर घर की छत पर लगा है, मीटर रीडर माह नवंबर 2024 से वर्तमान तक रीडिंग लेने नहीं आया है।

मंच ने शिकायत को परिवाद के रुप में दर्ज कर विपक्षी/विभाग को पत्रांक 24 दिनांक 30.04.2025 के माध्यम से नोटिस जारी कर परिवाद को लेकर सुस्पष्ट आख्या दिनांक 05.05.2025 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

विपक्षी/विभाग ने दिनांक 15.05.2025 को पत्रांक 41 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी का विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है, साथ ही मीटर भी उचित स्थान पर स्थापित कर दिया है। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने भी संतुष्टि जाहिर की है।

उभय पक्षों को सुना गया। चूंकि विपक्षी/विभाग ने परिवादी की मीटर/बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिया है। परिवादी ने भी दूरभाष पर विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की है। ऐसे में परिवाद निस्तारित किया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की मीटर/बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25	16/05/2025	16/05/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**
उपभोक्ता सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत नि०नि०, मंच उत्तरकाशी	न्यायिक सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
[illegible] वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन – 249193
दूरभाष – +917895754011, 9412139791 ई–मेल – Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–03 / 2025

दिनांकः– 16.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुमत सिंह ग्राम खालसी चिन्यालीसौड उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी। विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सुमत सिंह ने दिनांक 07.04.2025 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी के समक्ष लिखित शिकायत की कि उनका विद्युत संयोजन संख्या यू0के24144434470 का विद्युत बिल अधिक आया है। वह बिल एक साथ जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने मंच से बिल संशोधन करने का अनुरोध किया है।

मंच द्वारा शिकायत को परिवाद के रुप में दर्ज कर अपने पत्रांक 06 / 2025 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से नोटिस जारी कर विपक्षी / विभाग को अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित दिनांक 09.04.2025 को मंच के समक्ष पेश करने के आदेश दिए।

विभाग द्वारा पत्र संख्या 123 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 16.12.2010 से 21.04.2020 तक की अवधि के लिए IDF एवं NR बिल निर्गत किए गए थे। परिवादी पर वर्तमान में ₹46061.00 की बकाया राशि बन गई। सुनवाई एवं दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत, मंच ने विभाग को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमावली 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बिल संशोधित करने के निर्देश दिए। तदनुसार, दिनांक 09.04.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा मंच को पत्र संख्या 138 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि उपभोक्ता के दो बिलिंग चक्रों से अतिरिक्त आई0डी0एफ / एन0आर0 बिलों को मंच के निर्देशानुसार पूर्णतः समाप्त कर बिल रु0 46061.00 को संशोधित कर रु0 35322.97 बना कर खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रतिवादी विभाग ने उपभोक्ता के बिलों में विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के नियत नियमों के अनुसार संशोधन कर खण्ड कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। यदि उपभोक्ता अपने मीटर की शुद्धता पर संदेह करता है तो वह लिखित शिकायत तथा निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर के परीक्षण की मांग कर सकता है। इसके लिए परिवादी अपने विवेकानुसार निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल / अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

SBhatt 16/05/25	16/05/2025	Kirti Prasad 16/05/25
संतोष भट्ट	भूपेन्द्र सिंह कनेरी	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)	(तकनीकी सदस्य)	(न्यायिक सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन – 249193
दूरभाष – +917895754011, 9412139791 ई–मेल :– Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या – 12 / 2025 दिनांक – 16.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्यः

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री वीर सिंह पुत्र श्री भौंपाल सिंह, ग्राम जेस्टवाडी पो0 दिवारीखोल उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी । **विपक्षी**

निर्णय

श्री वीर सिंह ने दिनांक 26/04/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK24134414520 पर विद्युत बिल खपत से अधिक निर्गत हुए हैं और वर्तमान बिल की धनराशि काफी अधिक है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

मंच ने याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 17 दिनांक 26/04/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 05/05/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक 161 दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिल दिनांक 15.05.2008 से 12.05.2011, दिनांक 21.11.2013 से 11.03.2016 तथा दिनांक 09.09.2019 से 25.02.2024 तक आई0डी0एफ/आर0डी0एफ/ए0डी0एफ/एन0आर0 पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता पर वर्तमान में बिल रु0 132502.00 का बकाया है। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत गलत बिलों को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित करें। इस पर विपक्षी/विभाग ने पत्रांक 167 दिनांक 06.05.2025 को पुनः जवाब दिया कि परिवादी के समस्त गलत बिलों को पूर्णतः समाप्त कर विनियमों के अनुसार रु0 132502.00 से संशोधित कर रु0 50487.00 बना दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच ने प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 14.05.2025 की तिथि नियत की। विपक्षी/विभाग ने अपने पूर्व के जवाब का दोहरान किया। जबकि दूरभाष पर परिवादी ने विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर सहमति जाहिर की।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल/अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25	16/05/2025	16/05/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

निर्णय

दिगम्बर सिंह दिगम्बर सिंह ने दिनांक 06/05/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया, और यह बताया की उनके अधीनस्थ एस0बी0आई0 ए0टी0एम मशीन के संयोजन संख्या यू0के693364386399 का विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहा है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया कि उक्त ए0टी0एम मशीन का बिल समय पर निर्गत किया जाए।

मंच के द्वारा शिकायत को पंजीकृत कर प्रतिवादी/विभाग को पत्र संख्या 29 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा दिनांक 14/05/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और आपत्तियों सहित सम्बंधित दस्तावेजों के साथ मंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

दिनांक 14.05.2025 की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने अपने पत्र संख्या 173 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि मीटर रीडर द्वारा ए0टी0एम परिसर में ही बिल रख दिया जाता है। और विभाग द्वारा मीटर रीडर को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में उक्त ए0टी0एम परिसर का विद्युत बिल एस0बी0आई0 बैंक की शाखा में देने का कार्य करें। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन के सापेक्ष उपाकालि के ऑनलाइन पोर्टल पर बैंक का मो0नं0 7409889566 तथा ई–मेल **Sbi.05412@sbi.co.in** पर अद्यतन है। जिस पर विद्युत बिल बनने पर सूचना प्राप्त हो जाती है। ऐसे में विपक्षी/विभाग ने परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता को उपरोक्त आदेशानुसार बिल एस0बी0आई0 बैंक की शाखा में निर्गत करना सुनिश्चित करें। **यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल)Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपनेअपने खर्च स्वयं - वहन करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।**

16/05/25	16/05/2025	16/05/25
संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन –249193

दूरभाष –+917895754011, 9412139791 ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–17 / 2025 दिनांक– 16.05.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)**
2. **श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)**
3. **श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)**

श्री रणवीर सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री जोत सिंह, ग्राम पैन्थर गेंवला उत्तरकाशी। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी । **विपक्षी**

निर्णय

श्री रणवीर सिंह रावत ने दिनांक 29/04/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी मे शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK14117410780 का बिल रु0 27371.00 आ रखा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उक्त बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

मंच ने याचिकाकर्ता की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 22 दिनांक 29/04/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 14/05/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। तय तिथि को प्रतिवादी/विभाग ने आख्या प्रस्तुत नहीं की।

विपक्षी ने सुनवाई तिथि से पूर्व अपने पत्रांक 163 दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिल दिनांक 29.11.2014 से 09.09.2020 तक आई0डी0एफ पर निर्गत हो रहा है। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रु0 7371.00 का बकाया है। इसके अलावा विपक्षी/विभाग ने पत्रांक 169 दिनांक 06.05.2025 को पुनः जवाब दिया कि परिवादी के समस्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतः समाप्त कर विनियमों के अनुसार रु0 7371.00 से संशोधित कर रु0 925.00 बना दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत के समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की अधिक बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्य दिवसों के भीतर संशोधित बिल/अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। **यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर** विद्युत **लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80, राजपुर रोड, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

संतोष भट्ट	**भूपेन्द्र सिंह कनेरी**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(उपभोक्ता सदस्य)	**(तकनीकी सदस्य)**	**(न्यायिक सदस्य)**